शिविर.................... में प्रस्तुत हुई/पक्षकारान वादी एवं प्रतिवादी सहमत नहीं हैं एवं प्रकरण इस स्टेज पर निर्णय योग्य नहीं है। अतः पत्रावली दिनांक ...2/8/17... को न्यायालय हाजा में अग्रिम सुनवाई के लिए प्रस्तुत हो।

S.D.O. देसूरी

1-8-2017

वकील वादी उप०।

प्रतिवादी के वकील उप०।

वकील वादी/प्रतिवादी को सुना गया। पत्रावली एवं उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया।

वादीगण ने वाद अन्तर्गत धारा 88-89-188-92(A) R.T. Act प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा चाणोराव में स्थित कृषि भूमि खसरा (पुराने) 196, 197 व 198, ~~खसरा~~ 201, 202, कुल रकबा 19 बीघा। किस्म भूमि मेना पुत्र हदा मेघवाल (मांगी) के नाम दर्ज थी। मेना के फौत होने के बाद उसके वारिस भगा पुत्र मेना हुवा तथा भगा के देहान्त के बाद वादीगण वारिसान वाकयान्त भूमि पर काबिज रहे हैं। नवीन भू-प्रबंध कार्यवाही के बाद वाकयान्त

उपखण्ड अधिकारी देसूरी (पाली)

P.T.O.

भूमि के नये ख० नं० 885, 886, 895, 897, 898, 901, 902, 903, कुल रकबा 3=03 हेक्टर कायम हुवे हैं। जिस पर वादीगण काबिज हैं। वादीगण अनुसूचित के सदस्य हैं तथा प्रतिवादीगण स्वर्ण जाति के सदस्य हैं। वादग्रस्त भूमि का हस्तान्तरण धारा 42(B) Rev. Act- के अनुसार प्रतिवादीगण को नहीं हो सकता है परन्तु प्रतिवादी सं० 1 ने वाली-वाली वादग्रस्त भूमि मिलाकर स्व० के नाम दर्ज करवा दी, जो प्रभाव शून्य एवं अवैध होने से वादग्रस्त भूमि के खातेदारी घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का निवेदन किया।

हमने पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया। यह जाहिर है कि वादग्रस्त भूमि मौजा ल्यानेराव के जत ख० नं० 198, 201, 202 रकबा 19 बीघा भूमि केना पुत्र हदा मांवी के नाम बतौर खातेदारी दर्ज थी। वादीगण स्व०.

उपखण्ड अधिकारी
देसूरी (पाली)

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
	अजारान पुत्र केशा के वारिसान है। एवं केशा पुत्र इन्दा भांबी द्वारा धारित वादग्रस्त भूमि जात ख० नं० 198, 201, 202 रकबा 19 बीघा 1 बिस्वा भूमि प्रतिवादी सिरको-1 स्व० चौथूलाल/ बिशाधर के नाम जरिये ना०का० संख्या 931 दिनांक 23.6.71 के राजस्व रेकार्ड में दर्ज की गई। उक्त ना०का० संख्या 931 तहसीलदार, देवली के आदेश क्रमांक: 71/1498 दिनांक 16.4.71 की पालना में तात्कालीन पटवारी द्वारा दाखिल किया एवं तहसीलदार देवली द्वारा स्वीकृत किया। उक्त ना०का० किस प्रकार एवं किस आदेश से विधि विरुद्ध दाखिल किया गया, वादी ने अपने वाद-पत्र में कोई विवेचन नहीं किया अथवा न ही तहसीलदार के उक्त आदेश को वादी एवं उसके पिता/ काका अजारान एवं केशा द्वारा ही चुनौति दी गई है। ऐसी स्थिति में	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद इस stage पर परिपोषणीय नहीं है। जहाँ तक ना०क० सं०ख्या 931 के द्वारा कृषि जाति की भूमि स्वर्ण जाति के नाम दर्ज की गई हमारी राय में विधि अनुसार प्रतीत नहीं है। अतः तहसीलदार देवरी को निर्देश दिये जाते हैं कि उक्त ना०क० संख्या 931 की गहनता से जांच करे एवं धारा 42(B) R.T. Act का उल्लंघन पाया जाने पर उक्त ना०क० सं०ख्या 931 को निरस्त करवाने के लिए धारा 82 R.T. Act के तहत जिला कलेक्टर महोदय को रेफरेन्स की कार्यवाही करे। निर्णय की प्रति तह० देवरी को भिजवाई जावे। इस stage पर वादीगण का वाद बाबत घोषणा खातेदारी खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर संख्या से कम हो। (रामेश मेवाड़ा) SDO